न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–15/2022

राज्य

बनाम्

श्रवण प्रसाद साहू

–: आदेश :–

17/05/22	वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 854/अप0शा0 दिनांक 26.04.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज का अवलोकन किया। यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–03/2022 दिनांक–03.01.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार के द्वारा धारा–379/414 भा0द0वि0 धारा–30(2) कोल माईन्स एक्ट, धारा–21 खान एवं खजिन (विकास का विनियमन) अधिनियम एवं धारा–13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भण्डारण) नियम के तहत कांड में जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH19C-6381 को राजसात करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–03/2022 के वादी धीरज कुमार पु0अ0नि0 बालूमाथ थाना जिला–लातेहार वर्तमान में अमरवाडीह पिकेट में प्रतिनियुक्त के टंकित आवेदन के आधार पर जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH19C-6381 के विरूद्ध चोरी के कोयला का अवैध रूप से परिवहन एवं भण्डारण करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है एवं कोयला सहित हाईव को जप्त कर बालूमाथ थानान्तर्गत अमरवाडीह पिकेट में

सुरक्षार्थ रखा गया है। पुलिस अवर निरीक्षक धीरज कुमार द्वारा दिनांक 03.01.2022 को समय करीब 04:10 बजे प्रभात गस्ती के समय में अवैध कोयला लदा एक हाईवा चमातू कोलवरी से निकलने की प्राप्त सूचना पर गोली टांड़ चौक के पास वाहनों की चेकिंग के दरम्यान करीब समय 04:30 बजे प्रातः में चमातू कोलयरी के बैरियर नं0–11 के ओर से एक हाईवा आते देखा गया, हाईवा को चेकिंग पर तैनात पुलिस बल द्वारा रोकने का ईशारा करने पर चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। तत्पश्चात् हाईवा रजि0 नं0–JH19C-6381 चेसीस नं0–MAT466458J3P38749 इंजन नं0–ISB59B4S180K181L63751412 में लदे कोयला से संबंधि कागजात की खोजबीन की गयी परन्तु कोई कागजात नहीं पाया गया। वहां पर उपस्थित स्वतंत्र गवाह के समक्ष विधिवत् जप्ती सूची बनाकर लगभग 20 टन अवैध कोयला लदे हाईवा को जप्त कर अमरवाडीह पुलिस पिकेट में सुरक्षार्थ रखा गया।

विपक्षी श्रवण प्रसाद सहू पिता– दशरथ साहू, सा0–सेरक, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार को उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु विभिन्न तिथियों को नोटिस निर्गत किया गया तथा समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया इसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) के तहत् काण्ड में जप्त ट्रक रजि0 नं0– JH02AW-3503 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार ट्रक की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात ट्रक के निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 13:38:39 +05:30
Location: 10.93.47.5